

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

अनुदान सं०-14

तेरह अंको का कोड-2515008001005

सेवा में,

जिला पंचायत राज अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी,
सहारनपुर, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, इटावा, फतेहपुर, प्रयागराज, बांदा, बलिया, आजमगढ़, उन्नाव,
गोण्डा, सुल्तानपुर, ललितपुर, कानपुर देहात, सिद्धार्थनगर, अम्बेडकरनगर, अमेठी, सम्मल तथा
हापुड़।

संख्या 1/ S33 /2018-1/12/2018 :

लखनऊ: दिनांक ०7 मार्च, 2019

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्षेत्र पंचायत के अधिष्ठान मद में अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-1005-क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी पंचायत) के अन्तर्गत मानक मदों में व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुक्त विषयक विशेष सचिव, पंचायती राज उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या-28/2018/970 /33-3-2018-100(3)/2017 दिनांक 06 अप्रैल, 2018 के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में क्षेत्र पंचायत के अधिष्ठान की मानक मदों में आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार रू० 8,54,62,967/- (रू० आठ करोड़ चौवन लाख बासठ हजार नौ सौ सरसठ मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:-

1. प्राविधानित धनराशि को आवंटित कर पी०एल०ए०/डिपॉजिट खाते में जमा नहीं किया जायेगा।
2. आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।
3. वित्तीय स्वीकृतियों तथा कोषागारों में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले बिलों में सही लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड सहित) के साथ-साथ संबंधित अनुदान संख्या का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया जाय।
4. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंसियल प्रोपाइटी) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
5. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेंसियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमों अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति का आवश्यकता हो, तो उसमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
7. वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने/धनराशि को नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलॉटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
8. विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के व्यय किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं०-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06.06.1994 उ०प्र० अन्तर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र बी०ए०-13 पर लेखाशीर्षक/मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।
10. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-1005-क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित स्टाफ (ग्राम पंचायत अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी पंचायत) अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।
11. नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाय। गलत तथा अधिक आहरण के लिए आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

12. कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह निर्धारित प्रपत्र बी0एम0-4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0-4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाऊचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।
13. यदि बी0एम0-4 में सूचना नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होंगे।
14. यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण-पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।
15. एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
16. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उप-मुख्य -लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो।
17. संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेंगे तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक निदेशालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
 - 1) कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0-4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंट आगामी माह की 05 तारीख तक अनिवार्य रूप से लेखा एवं बजट अनुभाग-1 को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
 - 2) वर्ष 2018-19 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 15-03-2019 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-121 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मासूम अली सरवर)

निदेशक,

पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्या: 1/533/1/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2, उ0प्र0, शासन।
3. महालेखाकार सी0पी0 सी0-2, उ0प्र0, प्रयागराज।
4. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
5. संबंधित जिलाधिकारी उ0प्र0।
6. वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0, प्रयागराज।
7. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. एस0पी0एम0यू0, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2018-2019
आवंटन दिनांक-07/03/2019

प्रेषण संख्या:- 1-533-2018-1-12-2018
आवंटन आदेश संख्या:- 013-1-12-2018
अनुदान संख्या:- 14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)(वित्तीय वर्ष 2018-2019 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम(आयोजनेत्तर-मतदेय)

800 - अन्य व्यय

10 - ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन आदि के लिये व्यवस्था

05 - क्षेत्र पंचायतों के अधीन स्थानान्तरित स्टाफ(ग्राम पंचायत अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत)

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-महगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	योग
1	सहारनपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1375979 39884305	362018 3767244	121024 1898908	0 3622108	1859021 49172565
2	मुरादाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	3022196 27610551	1176388 3214799	261178 1547315	0 1632245	4459762 34004910
3	फर्रुखाबाद-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	3363267 22315368	150738 1409541	299229 1242246	0 1484756	3813234 26451911
4	इटावा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1948243 26766493	130212 2291259	172156 941934	0 1137472	2250611 31137158
5	फतेहपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	3339837 39117906	1128338 3848630	194838 1884607	0 3078264	4663013 47929407
6	प्रयागराज-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	6511474 100703913	1638594 8779098	0 6791688	0 3192846	8150068 119467545
7	बांदा -2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	3522000 26125072	940000 2758591	135000 1291862	0 1980750	4597000 32156275
8	बलिया-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1206949 60532402	516960 5462857	0 2926729	0 3169350	1723909 72091338
9	आजमगढ़-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	12656000 116951197	0 14696190	63670 5110812	0 6056097	12719670 142814296
10	उन्नाव-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	3086933 59496647	1157496 6692782	98663 3082403	0 2830177	4343092 72102009
11	गोण्डा-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1355720 43557752	732375 3952947	553738 2888693	0 4100000	2641833 54499392
12	मुल्तानपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	2363482 38013620	733752 3487834	260196 1492777	0 1168750	3357430 44162981

07-03-2019

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		01-वेतन	03-मंहगाई भत्ता	06-अन्य भत्ते	52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	योग
13	ललितपुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	473433 16216234	265618 1407508	32715 625782	0 928416	771766 19177940
14	कानपुर देहात-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	147464 28041887	162192 2713441	309656 1243937	0 1902688	619312 33901953
15	सिद्धार्थनगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	1100000 50489358	0 3955590	0 2041909	110667 4114705	1210667 60601562
16	अम्बेदकर नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	4376109 44073263	127037 3334797	273770 2303174	0 2550000	4776916 52261234
17	अमेठी-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01-	वर्तमान प्रगामी	17959107 55391717	2760704 6884553	154079 1184466	0 1135370	20873890 64596106
18	हापुर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	300000 18378550	0 1581467	35000 807160	100000 1000415	435000 21767592
19	सम्बल-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी, --01--	वर्तमान प्रगामी	1714616 24942878	418647 4502133	63510 829384	0 2304652	2196773 32579047
	योग	वर्तमान प्रगामी	69822809 838609113	12401069 84741261	3028422 40135786	210667 47389061	85462967 1010875221

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया आठ करोड़ चौवन लाख बासठ हजार नौ सौ सरसठ

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब एक करोड़ आठ लाख पचहत्तर हजार दो सौ इक्कीस

(बृजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी